अध्याय 8
कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन

धारा 17 : कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन

(1) केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए एकीकृत कर में से,–

(क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत्;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत्, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र नहीं है;

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में माल या सेवा या दोनों की, की गई अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत्, जहां वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं करता है और इस प्रकार ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ति की गई थी, वार्षिक विवरणी देने के लिए देय तारीख के अवसान के पश्चात् एकीकृत कर खाते में बना रहता है;

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के आयात की बाबत्;

(ड.) माल या सेवाओं या दोनों के आयात की बाबत्, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र नहीं है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में माल या सेवाओं या दोनों के किए गए आयात की बाबत्, जहां वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रत्यय को प्राप्त नहीं करता है और इस प्रकार ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, वार्षिक विवरणी देने के लिए देय तारीख के अवसान के पश्चात् एकीकृत कर खाते में बना रहता है,

उसी प्रकार की राज्य के भीतर पूर्ति पर केन्द्रीय कर के समतूल्य दर पर संगणित कर की रकम केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित की जाएगी।

(2) उस पूर्ति की बाबत्, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन प्रभाजन किया गया है, एकीकृत कर खाते में शेष एकीकृत कर की अतिशेष रकम का प्रभाजन,–

(क) ऐसे राज्य को किया जाएगा, जहां ऐसी पूर्ति की जाती है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा, जहां ऐसी पूर्ति किसी संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है :

परन्तु जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी पूर्ति का स्थान पृथकतः अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उक्त अतिशेष रकम का प्रभाजन,

(क) प्रत्येक राज्य को; और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को,

किसी वित्तीय वर्ष में, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों को ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई कुल पूर्तियों के अनुपात में किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी पूर्तियां करने वाला कराधेय व्यक्ति पहचान योग्य नहीं है, वहां उक्त अतिशेष रकम का प्रभाजन, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, अपने–अपने

राज्य द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्य कर के रूप में संगृहीत रकम के अनुपात में सभी राज्यों और केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा।

[1][(2क)] उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रभाजित न की गई रकम, तत्समय परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार को पचास प्रतिशत की दर पर और, यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों को तदर्थ आधार पर पचास प्रतिशत की दर पर प्रभाजित की जाएगी और उक्त उपधाराओं के अधीन प्रभाजित रकम के प्रति समायोजित की जाएगी।]

(3) एकीकृत कर के प्रभाजन से सम्बन्धित उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार प्रभाजित कर के सम्बन्ध में वसूल किए गए ब्याज, शास्ति और शमन की गई रकम के प्रभाजन को लागू होंगे।

(4) जहां किसी रकम का प्रभाजन उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को किया गया है, वहां एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार प्रभाजित रकम के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाएं, केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित क्रमिक रकम के बराबर रकम को केन्द्रीय कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी और उस राज्य को प्रभाजित रकम के बराबर रकम को क्रमिक राज्य के राज्य कर खाते में अंतरित कर देगी।

(5) किसी संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे, यथास्थिति, किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित कोई भी एकीकृत कर, यदि तत्पश्चात् किसी व्यक्ति को प्रतिदेय पाया जाए और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाए, तो इस धारा के अधीन ऐसे राज्य या केन्द्रीय सरकार को ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे प्रभाजित की जाने वाली रकम में से, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, घटा दिया जाएगा।

---

[1] उपधारा (2क) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।